न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 57/2024

हीरालाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।

- प्रार्थी

बनाम

1. भानीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
3. नन्दलाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
4. सावित्री पुत्री भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
5. मनीष पुत्र ओमप्रकाश पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
7. लिछमा पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी- **प्रार्थी**

वकील श्री अमित देहडु **- अप्रार्थी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 02.04.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 106/111 के खसरा सं0 194/2 की 4.999 है0, खसरा सं0 69 की 1.758 है0 कुल खसरा 2 की कुल 6.757 है0 बारानी वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 भानीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि पहले वादी के दादा पूर्णराम की खातेदारी हुआ करती थी पूर्णराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 भानीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। इस प्रकार वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार है।

वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से अप्रार्थी संख्या 1 वादभूमि को अप्राथी सं0 2 के बहकावे में आकर रहन बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। अप्रार्थी सावित्री एवं लिछमा ने पारिवारिक सैटलमैंट में अपना हक हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 तथा प्रार्थी के भाई ओमप्रकाश के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के कास्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को अपने हक हिस्सा से वंचित करने की कोशिश में है अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वादभूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त [illegible] सं0 1 ता 7 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त वादभूमि [illegible] अर्जित सम्पति है। वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 भानीराम को विरासतन प्राप्त [illegible] है। वादभूमि का पहले कोई पारिवारिक सैटलमैंट नहीं हुआ तथा न ही अप्रार्थी सावित्री एवं लिछमा ने अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया था। उक्त [illegible] वादभूमि भानीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में है व उसके ही कब्जा कास्त में चली आ रही है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि प्रार्थी की दादालाई पैतृक भूमि है जो वादी के दादा पूर्णराम के देहान्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 भानीराम को विरासतन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सावित्री एवं लिछमा ने पारिवारिक सैटलमैंट में अपना हक हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 तथा प्रार्थी के भाई ओमप्रकाश के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के काश्तकार है। अप्रार्थी सं0 1 वृद्ध हो गया है तथा अप्रार्थी प्रतापसिंह के प्रभाव में है तथा बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के हस्तान्तरण करवाने की धमकी दे रहे है तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वादभूमि भानीराम की पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है। वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 भानीराम को विरासतन प्राप्त नहीं हुई है। वादभूमि का पहले कोई पारिवारिक सैटलमैंट नहीं हुआ तथा न ही अप्रार्थी सावित्री एवं लिछमा ने अपना हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया था। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि भानीराम के ही नाम राजस्व रिकार्ड में है व उसके ही कब्जा कास्त में चली आ रही अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 भानीराम को वादभूमि विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पति में अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थी का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। चूंकि विवादित भूमि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 106/111 के खसरा सं0 194/2 की 4.999 है0, खसरा सं0 69 की 1.758 है0 कुल खसरा 2 की कुल 6.757 है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रार्थी ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायल इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त आराजी पैतृक नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 वादभूमि को रहन बैय व मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी/वादी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु [illegible] हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी [illegible] किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्ष[illegible] सकती है [illegible] में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित [illegible] के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 106/111 के खसरा सं0 194/2 की 4.999 है0, खसरा सं0 69 की 1.758 है0 कुल खसरा 2 की कुल 6.757 है0 बारानी वादभूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन ना करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फॉस्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca